



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP02943234243944V

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP02943234243944V
Certificate Issued Date	: 01-Sep-2023 10:42 AM
Account Reference	: NEWMPACC (SV) up14246404/ FIROZABAD SADAR/ UP-NRZ
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1424640402066995825842V
Purchased by	: SHRI UDAL SINGH SHIKSHA SAMITI FIROZABAD
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: SHRI UDAL SINGH SHIKSHA SAMITI FIROZABAD
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: SHRI UDAL SINGH SHIKSHA SAMITI FIROZABAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

01/09/2023



ACC NAME: BRIJESH KUMAR AGARWAL
 STAMP VENDOR
 LICENCE NO. ER-86/2003
 E-STAMPING ACC ID: UP14246404
 TIKHIL SADAR DISTT. FIROZABAD

Page No. 116
 01/09/2023



1. The validity of the Stamp certificate issued by the State of India shall be void if the certificate is not used in the State of India.
 2. The State of India shall not be liable for the loss of the certificate if the certificate is not used in the State of India.
 3. The State of India shall not be liable for the loss of the certificate if the certificate is not used in the State of India.

शपथ-पत्र

हम सुरेश चन्द एवं सतीश चन्द क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री ऊदल सिंह शिक्षा समिति,
38, गली नं० 5, गान्धी नगर, राहद व जिला फिरोजाबाद शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते
हैं :-

01. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा यूएनएसओ कॉलेज ऑफ फार्मसी, आसफाबाद, राहद व
जिला फिरोजाबाद नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से
किया जाना प्रस्तावित है।

02. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम गीजा आसफाबाद, तहसील व जिला फिरोजाबाद में
गाटा संख्या 41/1 कुल रकबा 0.305 हेक्टेयर भूमि है।

03. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं
चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

04. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 41/1 रकबा
0.305 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने
का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 06/01/2020 द्वारा पारित किया गया है।

05. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमतः डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु
भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

06. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस
पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया
गया है।

07. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई
दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

PAGE No. 2/2
S.No.
DATE 11/11/2023
NOTARY FIROZABAD



ATTESTED

NOTARY FIROZABAD

.....2

(2)

08. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

09. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30000 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का तत्कालीन पालन कर्सेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निर्देशन में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निर्देशन एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13. हम घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना हमारी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, झूठबित्तित एवं भ्रष्टपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून सभ्य कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।



हो चीफ

ATTESTED

हो अध्यक्ष

NOTARY FIROZABAD